

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,  
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- अलीराजपुर जिले में ए.डी.बी.-6 योजना के अन्तर्गत भाभरा-उदयगढ़ मार्ग के  
उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को  
उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 021/2022-BHO दिनांक 09.02.2023 .

-----0-----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के द्वारा प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 01 बिन्दु पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

| बिन्दु                                                                                                                                                                                                                | प्रतिवेदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| According to DSS, in 176 meter of proposed diversion area, road has been constructed without approval. If violation is committed then compliance in accordance with clause 1.21 of FCA guidelines shall be submitted. | प्रकरण में वन मण्डलाधिकारी अलीराजपुर ने अपने पत्र दिनांक 07.03.2023 से अवगत कराया है कि वर्तमान में मौका स्थल निरीक्षण करने पर उक्त निर्माण स्थल क्षेत्र वन विभाग मानचित्र अनुसार वनभूमि तथा राजस्व रिकार्ड अनुसार पटवारी हल्का नम्बर 12 के खसरा क्रमांक 52, 128, 132, 133, 134, 155, 154, 145, 144, 141, 136 की राजस्व भूमि है। वन खण्ड अकोलिया मध्यभारत फॉरेस्ट एण्ड ट्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट ग्वालियर की अधिसूचना क्रमांक/1101/XF/202 (54) से संरक्षित वन घोषित है उक्त अधिसूचना (रिक्त) है जिसमें वन विभाग को हस्तांतरित ग्राम के खसरे व रकबे का कोई उल्लेख नहीं है, न उक्त वन खण्ड का मानचित्र उपलब्ध हैं। जिस कारण से वन/राजस्व सीमा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा उक्त क्षेत्र राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि के रूप में दर्ज होने के कारण राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त कर मौके पर निर्माण कार्य किया गया। |

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
04/07/23  
(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1141/2022/10-11/2759

भोपाल, दिनांक 4/7/23

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
  2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अलीराजपुर/धार, मध्यप्रदेश।
  3. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, धार, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

8/04/23  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय वन संरक्षक, वन वृत्त, इन्दौर  
नवरतनबाग, फॉरेस्ट कैम्पस, इन्दौर, म.प्र. -

Tel. (O) 0731-2491831 (Fax) 0731-2491657

E-mail : ccf.ind@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./23/2827  
प्रति,

इन्दौर, दिनांक : 7-6-2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(भू-प्रबंध)  
म0प्र0 भोपाल.

By E-mail

विषय:-अलीराजपुर जिले में ए.डी.बी.-6 योजना के अंतर्गत भाभरा-उदयगढ़ मार्ग  
के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 2.77 हे. वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास  
निगम धार को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ:-आपका पृष्ठांकन क्रमांक/एफ-5/1141/2022/10-11/681 दिनांक  
13.2.2023 एवं वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल अलीराजपुर का पत्र क्रमांक  
/मा.चि./2023/1026 दिनांक 7.3.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में आपके द्वारा  
चाही गई संक्षेपिका वन मण्डल अलीराजपुर से प्राप्त कर संलग्न अवलोकनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

मुख्य वन संरक्षक  
(क्षे.) वन वृत्त इन्दौर

- 7 MAR 2023

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अलीराजपुर (म0प्र0)

फॉरेस्ट कैंपस, खण्डवा बडौदा रोड, अलीराजपुर-457887

Tel & Fax No. 07394-234530

E-mail : dfot.alp@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2023/1026

दिनांक : 07-03-23

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक  
इन्दौर वृत्त इन्दौर

- विषय :- अलीराजपुर जिले में ए.डी.बीए-6 योजना के अन्तर्गत भाभरा-उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को उपयोग पर देने बाबत।
- संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1141/2022/10-11/680 दिनांक 13.02.2023।
- 2) वनपरिक्षेत्राधिकारी जोबट का पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/242 दिनांक 02.03.2023।

— ★ —

उपरोक्त संदर्भित विषय में निवेदन है कि अलीराजपुर जिले में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार की ए.डी.बीए-6 योजना के अन्तर्गत भाभरा-उदयगढ़ मार्ग प्रकरण में आवेदक विभाग की निर्माण एजेन्सी द्वारा वनभूमि पर बिना अनुमति के 500 मीटर लंबाई में मार्ग निर्माण कार्य कर लिया गया है।

वर्तमान में मौका स्थल निरीक्षण करने पर उक्त निर्माण स्थल क्षेत्र वन विभाग मानचित्र अनुसार वनभूमि तथा राजस्व रिकार्ड अनुसार पटवारी हल्का नंबर 12 के खसरा क्रमांक 52,128,132,133,134,155,154,145,144,141,136 की राजस्व भूमि हैं। वनखण्ड अकोलिया मध्यभारत फॉरेस्ट एण्ड ट्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ग्वालियर की अधिसूचना क्रमांक/1101/XF/202(54) से संरक्षित वन घोषित है उक्त अधिसूचना (रिक्त) है जिसमें वनविभाग को हस्तांतरित ग्राम के खसरे व रकबे को कोई उल्लेख नहीं है न उक्त वनखण्ड का मानचित्र उपलब्ध हैं। जिस कारण से वन/राजस्व सीमा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। निर्माणकर्ता एजेन्सी द्वारा उक्त क्षेत्र राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि के रूप में दर्ज होने के कारण राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त कर मौके पर निर्माण कार्य किया।

वर्तमान में उक्त भूमि पर वन/राजस्व सीमा अस्पष्ट है तथा आवेदक संस्थान द्वारा राजस्व अभिलेखों के आधार पर संबंधित विभाग की समस्त प्रक्रिया का पालन कर त्रुटिपूर्वक वनक्षेत्र में कार्य किया गया।

वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल अलीराजपुर

पृ0 क्रमांक/मा.चि./2023/1027  
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 07-03-23

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मा-चि-

वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल अलीराजपुर

